<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

<u>निगरानी / टीए / 2002 / 10565 / पाली</u>
<u>गुलाब सिंह बनाम अमरसिंह वगैरह</u></td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>09/12/24</td><td>

<u>एकल–पीठ</u>
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थिति :–
श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री योगेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी।

<u>आदेश</u>

1– हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 सपठित धारा–221 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील संख्या 22/2001 में पारित निर्णय दिनांक 12–02–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– हस्तगत निगरानी याचिका के अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 7 के पिता स्व. डूंगरसिंह ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 एवं 181 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ग्राम बीलिया स्थित भूमि खसरा संख्या 161 हाल 392 के संबंध में पेश किया, जिसे योग्य विचारण न्यायालय ने स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 24–06–1994 द्वारा वाद डिक्री कर दिया गया। इसके विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20–12–1994 को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया। दौराने कार्यवाही अप्रार्थी संख्या–1 से 5 ने धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी को पाबंद किये जाने का निवेदन किया, जिसे योग्य विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16–04–2001 को खारिज करते हुए प्रार्थी को विवादित भूमि पर काश्त किये जाने की स्थिति में तीन सौ रूपये प्रति बीघा प्रति फसल प्रति वर्ष संबंधित तहसील में जमा करवाने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार, बाली को रिसीवर नियुक्त कर दिया। योग्य अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 12–02–2002 से व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने याचिका में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि गत

</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2002 / 10565 / पाली</u>** **<u>गुलाब सिंह बनाम अमरसिंह वगैरह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा संख्या 161 का रकबा 30 बीघा था, जिसमें से प्रार्थी के नाम सवा छः बीघा भूमि का नियमन हुआ तथा अप्रार्थी संख्या–1 से 7 के पिता स्व. डूंगरसिंह के नाम 10 बीघा का आवंटन हुआ। भू–प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के पिता ने कोई उज्रदारी पेश नहीं की, जबकि प्रार्थी ने सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष अपनी उज्रदारी पेश कर खसरा संख्या 392 रकबा 1.27 है0 भूमि की गैर खातेदारी दिनांक 28–6–1984 को ही दर्ज करा ली थी। अप्रार्थीगण के पिता स्व. डूंगरसिंह ने बिना प्रार्थी को पक्षकार बनाये विचारण न्यायालय में घोषणा का वाद पेश कर दिया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी अधिकार प्राप्त करना शेष है, जबकि प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी संवत् 2050–52 में खातेदार दर्ज है, फिर भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के इन्द्राजातों को नजरअंदाज कर वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्ति के आदेश प्रदान कर दिये। अप्रार्थी संख्या–1 से 7 के पिता को खसरा संख्या 161 का रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन किस जगह हुआ, इसे सिद्ध करने का भार अप्रार्थीगण पर है, जबकि आवंटनशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 का कोई कब्जा काश्त नहीं है, जो कि खसरा परिवर्तनशील से पूर्णतया सिद्ध है। विवादित रकबा प्रार्थी का नियमनशुदा है, जिस पर काबिज काश्त है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीक से एवं गलत तथ्यों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा बाद जांच प्रार्थी का कब्जा पाये जाने के आधार पर प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर कब्जा बनाये रखने की आज्ञा पारित की गई, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है, किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर तहसीलदार, बाली को वाद के निर्णय तक रिसीवर नियुक्त करने में गंभीर तथ्य व विधि संबंधी त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–02–2002 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। 4– इसका खण्डन करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन रहा कि विवादित रकबा अप्रार्थी के पूर्वज स्व. डूंगरसिंह को आवंटनशुदा होकर जरिये नामांतकरण संख्या 55 दिनांक 05–09–1975 राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया तथा भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान उक्त इन्द्राज हटा दिये जाने के कारण घोषणा हेतु प्रस्तुत वाद विचारण न्यायालय डिक्री द्वारा किया गया, किन्तु इसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित होकर विचाराधीन है। इस दौरान प्रार्थी की ओर से दखलअंदाजी किये जाने के कारण प्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया। जबकि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विवादित रकबे पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना स्पष्ट होता है, किन्तु	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2002 / 10565 / पाली</u>** **<u>गुलाब सिंह बनाम अमरसिंह वगैरह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में विवेचन किये जाने के बावजूद रिसीवर नियुक्त किये जाने का सशर्त आदेश पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की है। प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये, जबकि विवादित भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण का है। आदि कथन करते हुए अंत में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में होना बताते हुए प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। 5– उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 7 के पिता स्व. श्री डूंगरसिंह ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली के समक्ष अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे योग्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–04–2001 द्वारा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी (वर्तमान प्रकरण के अप्रार्थी संख्या–1 से 7 के पिता स्व. श्री डूंगरसिंह) पक्ष में बनना नहीं पाते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज कर दिया, किन्तु सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के अन्य बिन्दुओं को अप्रार्थी (वर्तमान प्रकरण के प्रार्थी गुलाब सिंह) के पक्ष में पूर्ण रूप से बनना नहीं पाते हुए अप्रार्थी को विवादित भूमि पर काश्त करने की सूरत में 300/– रूपये प्रति बीघा प्रति फसल प्रतिवर्ष संबंधित तहसील कार्यालय में जमा कराये जाने हेतु आदेशित किया गया। यह भी आदेश प्रदान किया कि उक्त आदेश जारी होने की एक माह की अवधि में अप्रार्थी आदेश में वर्णित नकद प्रतिभूति राशि की प्रथम किश्त जमा कराने हेतु बाध्य रहेगा, अन्यथा तहसीलदार बाली विवादित भूमि का कब्जा बतौर रिसीवरी अपने कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगें। 6– विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध डूंगरसिंह द्वारा अंतर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें योग्य अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 12–02–2002 को प्रस्तुत की गई अपील को आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार बाली को विचाराधीन वाद के निर्णय तक रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–212 का अवलोकन किया जाये तो धारा–212 व्यादेश के लिये और रिसीवर की नियुक्ति के लिये निम्नानुसार उपबंधित है :– ‘‘इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि :–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2002 / 10565 / पाली</u>** **<u>गुलाब सिंह बनाम अमरसिंह वगैरह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या (ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त संपत्ति को हटाने या व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, **यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।**'' 7– पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 161 मिन रकबा 10 बीघा डूंगरसिंह को आवंटन की गई, जिसका राजस्व अभिलेख में नामांतकरण संख्या 55 द्वारा उसके नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त गत खसरा संख्या 161 का सवा छः बीघा रकबा प्रार्थी गुलाब सिंह के पक्ष में दिनांक 29–11–1978 को नियमन किया गया। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा संख्या 392 रकबा 1.27 है0 के गत खसरा संख्या 161 मिन से बना होना दर्शाया है। गत खसरा संख्या 161 के हाल खसरा संख्या 392 का राजस्व रेकार्ड में रकबा 1.27 है0 दर्ज होने के बावजूद नक्शे में स्पष्ट तरमीम का अभाव है व नक्शे अनुसार हाल खसरा संख्या 392 का रकबा काफी बड़ा होना प्रकट होता है तथा मिलान क्षैत्रफल के अनुसार गत खसरा संख्या 161 मिन के हाल खसरा नंबर एकाधिक दर्ज किये गये है। भू–प्रबंध की खतौनी संवत् 2037 से 2056 अनुसार हाल खसरा संख्या 392 सिवाय चक दर्ज होकर ए.आर.ओ. के मिसल संख्या 1234/84 आदेश दिनांक 28.06. 1984 अनुसार खसरा संख्या 392 का इन्द्राज गुलाब सिंह के पक्ष में गैर खातेदारी से किया गया है। अप्रार्थी डूंगरसिंह के पक्ष में किया गया आवंटन व प्रार्थी के पक्ष में किये गये नियमन के इन्द्राज भू–प्रबंध विभाग द्वारा हटाये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, किन्तु हाल खसरा संख्या 392 सिवाय चक दर्ज होकर अप्रार्थी डूंगर सिंह की उजरदारी के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद बिन्दु भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान इन्द्राज परिवर्तन होने व उनके मध्य कब्जे को लेकर विवाद है तथा राजस्व इन्द्राज स्पष्ट नहीं होने के कारण उभय पक्षों के मध्य मूल वाद अभी विचाराधीन है, जिसमें दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही प्रकरण का न्यायोचित निस्तारण किया जाना है। यह सही है कि किसी भी पक्षकारान द्वारा रिसीवर नियुक्त किये जाने का अनुतोष नहीं चाहा गया है, किन्तु प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं पक्षकारों के मध्य कब्जे संबंधी विवाद को दृष्टिगत रखते हुए रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसका मूल उद्देश्य विवादित आराजी को मूल वाद के निर्णय तक सुरक्षित बनाये रखना है। चूंकि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2002 / 10565 / पाली</u>** **<u>गुलाब सिंह बनाम अमरसिंह वगैरह</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी का दायरा अत्यंत सीमित है। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मत में योग्य अपीलीय न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश दिनांक 12–02–2002 द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 392 रकबा 1.27 है0 पर तहसीलदार, बाली को विचाराधीन वाद के निर्णय तक रिसीवर नियुक्त करने में किसी प्रकार की विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि कारित नहीं की है। अतएव हस्तगत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। 8– परिणामतः हस्तगत पुनरीक्षण याचिका एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पुरूषोत्तम लाल सैनी)** **सदस्य**	